झारखण्ड सरकार

जैविक खाद प्रोत्साहन कार्यक्रम
कार्यान्वयन अनुदेश

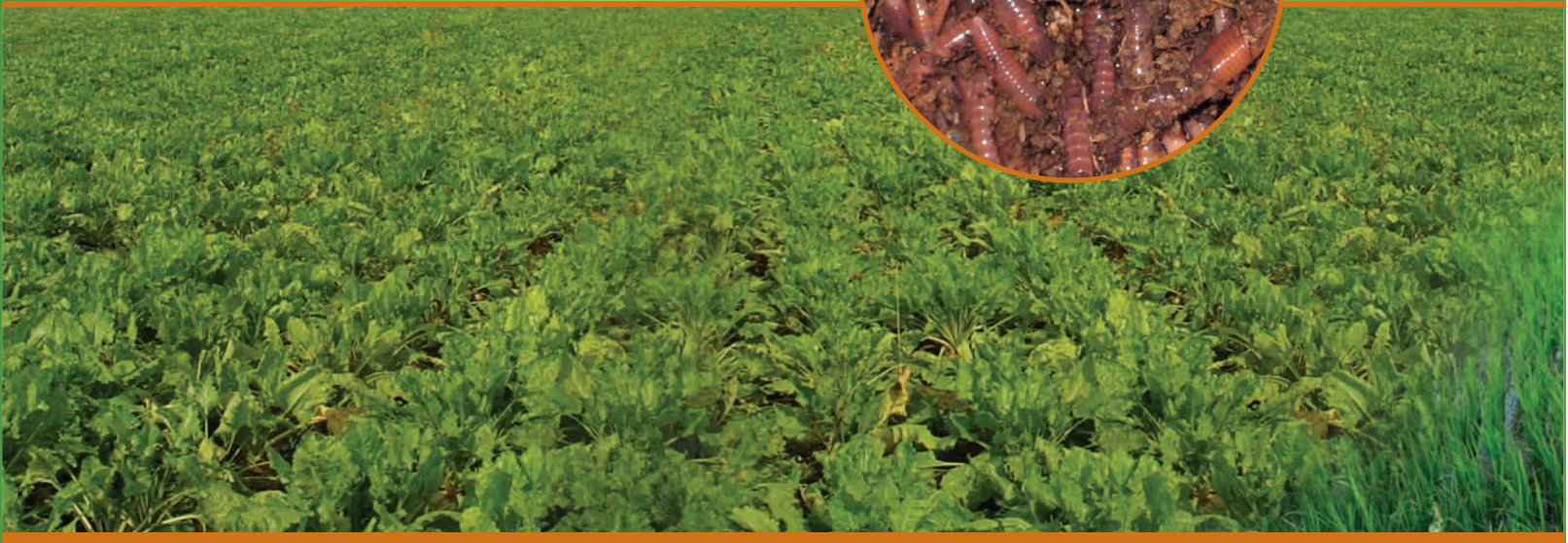

कृषि एवं गन्ना विकास विभाग
झारखण्ड

झारखण्ड सरकार
कृषि एवं गन्ना विकास विभाग
संकल्प
विषय : जैविक खाद प्रोत्साहन कार्यक्रम का कार्यान्वयन अनुदेश

1.0 उद्देश्य :

इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जैविक खाद का उत्पादन एवं इस्तेमाल को प्रोत्साहित करना है, जिसके फलस्वरूप निम्नांकित लक्ष्यों की प्राप्ति की जा सके :

1.1 उत्पाद एवं उत्पादकता में वृद्धि करना

1.2 मृदा के उर्वरता शक्ति को पुनर्जीवित करना एवं उसे सामान्य स्थिति में बनाए रखना।

1.3 स्थानीय उपलब्ध जैविक उपादान जैसे की गोबर खाद, पशुओं के मूत्र, सूकर एवं मुर्गी से प्राप्त खाद, कम्पोस्ट, सम्पोषित (Phosphocompost) वर्मीकम्पोष्ट, पशुशाला से प्राप्त खाद (FYM) को उपयोग में लाना।

1.4 स्थानीय प्राप्त करंज, महुआ, कुसुम एवं नीम आदि के खली का उपयोग करना।

1.5 हरी खाद वाली फसलों जैसे ढैंचा, सनई, मूंग, बोदी आदि का उपयोग करना। उत्पादकता में वृद्धि के साथ–साथ पर्यावरण संरक्षण का उद्देश्य भी पूरा होगा। इस योजना के अंतर्गत वर्मी कम्पोस्ट एवं जैव उर्वरक प्रोत्साहन का कार्यक्रम शामिल है।

2.0 अवयव :

2.1. वर्मी कम्पोष्ट का उत्पादन :–

2.1.1 किसानों के द्वारा

(i) पक्का निर्माण इकाई,

(ii) एच.डी.पी.ई. वर्मी बेड

2.1.2 उद्यमियों द्वारा व्यवसायिक स्तर पर उत्पादन

2.1.3 वर्मी कम्पोष्ट का अनुदानित दर पर वितरण

2.1.4 जैव उर्वरक, यथा नील हरित शैवाल/राइजोबियम/पी.एस.बी./एजेटोवैक्टर/माइकोराइजा का निःशुल्क वितरण

2.1.5 पब्लिक सेक्टर में जैव उर्वरक के उत्पादन हेतु शत–प्रतिशत सहायता/निजी क्षेत्र में जैव उर्वरक के उत्पादन हेतु अनुदान

2.2 वर्मी कम्पोष्ट का किसानों/ उद्यमियों द्वारा उत्पादनः-

2.2.1 किसानों के लिए वर्मी कम्पोष्ट उत्पादन कार्यक्रम मांग आधारित योजना होगी, अर्थात जितने भी किसान आवेदन करेंगे एवं योजना की पात्रता रखेंगे उन्हें योजना का लाभ दिया जाएगा।

2.2.2 प्रथम वर्ष के दौरान विभाग द्वारा घोषित जैविक गांव/उद्यान विकास के लिए चिन्हित विशेष फसल अन्तर्गत आच्छादित किसानों को प्राथमिकता दी जाएगी।

2.2.3 **लक्ष्य का निर्धारण -**

जिलावार स्वीकृत भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य को जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा प्रखण्डवार विभाजित किया जाएगा।

2.3 मांग एवं उपलब्धि को ध्यान में रखते हुए प्रखण्ड के लिए निर्धारित लक्ष्य जिला के वित्तीय लक्ष्य के अन्तर्गत परिवर्तनीय होगा।

यह परिवर्तन जिला कृषि पदाधिकारी आवश्यकतानुसार कर सकेंगे। मांग के अनुसार सभी किसानों को इस वर्ष लाभ नहीं होने की स्थिति में इस वर्ष स्वीकृत आवेदनों को आगामी वर्ष में प्राथमिकता दी जायेगी।

निजी उद्यमियों द्वारा वर्मी कम्पोष्ट उत्पादन के लिए राज्यादेश में उल्लेखित लक्ष्य के अनुसार ही स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

3.0 कृषकों/उद्यमियों के चयन हेतु अर्हता-

3.1 यह अनुदान सभी प्रकार के किसानों को अनुमान्य होगा बशर्ते कि वर्मी कम्पोष्ट उत्पादन के लिए आवेदन अथवा वितरण के लिए वर्मी कम्पोष्ट क्रय कर वे अपनी इच्छा प्रदर्शित करें।

3.2 वर्मी कम्पोष्ट उत्पादन के लिए त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्था के किसी भी स्थानीय प्रतिनिधि की अनुशंसा प्राप्त की गई हो।

3.3 वर्मी कम्पोष्ट उत्पादन के लिए किसान मूल रूप से गांव में निवास करते हों।

3.4 वर्मी कम्पोष्ट उत्पादन के लिए फसलों की खेती के साथ पशुपालन करने वाले किसानों को चयन में प्राथमिकता दी जायेगी।

3.5 जिन किसानों को वर्मी कम्पोष्ट इकाई निर्माण हेतु विगत पांच वर्षो में किसी भी योजना आर0के0भी0वाई0/आईसोपोम/एन0एच0एम0/सी0एच0 एम0 से लाभ मिल चुका है, वैसे किसानों को वर्मी कम्पोष्ट उत्पादन के लिए अनुदान का लाभ नहीं दिया जायेगा।

3.6 उद्यमियों द्वारा वर्मी कम्पोष्ट उत्पादन के लिए Individual/Co-operative/ Proprietory firm/Companies/ Farmer Interest Group/Self Help Group/NGO, इत्यादि के द्वारा आवेदन किया जा सकता है।

4.0. आवेदन की प्रक्रिया :

4.1 वर्मी कम्पोष्ट इकाई के निर्माण/एच.डी.पी.ई. वर्मी बेड/व्यावसायिक स्तर पर वर्मी कम्पोष्ट उत्पादन के लिए विहित प्रपत्र में आवेदन करने की आवश्यकता होगी।

इच्छुक किसान/उद्यमी द्वारा विहित प्रपत्र में अपना आवेदन प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी/विषय वस्तु विशेषज्ञ अथवा जिला स्तर पर जिला कृषि पदाधिकारी के द्वारा प्राधिकृत कर्मी को समर्पित करेंगे।

4.2 किसान से प्राप्त आवेदन को एक पंजी में संधारित किया जाएगा। कृषकों से आवेदन प्राप्त करते समय उन्हें प्राप्ति रसीद दी जायेगी। जिला कृषि पदाधिकारी के द्वारा समेकित रूप से एक पंजी

संधारित की जायेगी। उनके द्वारा आवेदन प्रखण्डवार एवं प्राप्ति की तिथिवार समेकित पंजी संधारित की जायेगी।

4.3 जिला कृषि पदाधिकारी/ अनुमंडल कृषि पदाधिकारी/प्रखंड कृषि पदधिकारी/विषय वस्तु विशेषज्ञ/ कृषि विभाग के अन्य पदाधिकारी भ्रमण के दौरान योजना का प्रचार प्रसार करेंगे एवं किसानों से आवेदन पत्र भरवाने/प्राप्त करने का कार्य करेंगे।

आवेदन पत्र प्राप्त करने के समय यह सजग प्रयास किया जाएगा कि वर्मी कम्पोष्ट के लिए अधिक से अधिक कलस्टर का निर्माण हो सके। इसके लिए एक ही गॉव/सटे क्षेत्रों में वर्मी कम्पोष्ट अपनाने के लिए किसानों को प्रेरित किया जायेगा ताकि योजना का लाभ दृष्टिगोचर हो सके।

4.4 व्यवसायिक स्तर पर वर्मी कम्पोष्ट उत्पादन के लिए विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र उप कृषि निदेशक (सामान्य), कृषि निदेशालय, रांची के कार्यालय में जमा किये जायेगें।

4.5 अनुदानित दर पर वर्मी कम्पोष्ट क्रय के लिये आवेदन की आवश्यकता नहीं होगी।

5.0. आवेदन की जांच -

5.1 वर्मी कम्पोष्ट उत्पादन के लिए प्रखण्ड स्तर पर आवेदन की जांच प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी/ एस0एम0एस0 अथवा जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा की जाएगी।

आवेदन जांच की प्रक्रिया अधिकतम 15 दिनों में निश्चित रूप से पूरी कर ली जाएगी।

यह जांच किसान के निवास के गांव में जाकर स्थल पर की जाएगी। अन्य बातों के अतिरिक्त यह देखा जाएगा की आवेदक किसान हैं या नहीं तथा उनके पास वर्मी कम्पोष्ट उत्पादन के लिए आवश्यक सामग्री, यथा कार्बनिक अपशिष्ट पदार्थ, गोबर, आदि उपलब्ध है अथवा नहीं।

5.2 व्यवसायिक स्तर पर वर्मी कम्पोष्ट उत्पादन के लिए प्रस्ताव की जांच **त्रिसदस्यीय समिति** के द्वारा की जायेगी।

इस समिति के अध्यक्ष संबंधित प्रमंडल के प्रमंडलीय संयुक्त कृषि निदेशक होंगे, जहाँ यह इकाई स्थापित की जानी है।

इस समिति के सदस्य संबंधित जिला के जिला कृषि पदाधिकारी तथा उप कृषि निदेशक (सामान्य) कृषि निदेशालय, रांची होंगे।

उप कृषि निदेशक (सामान्य) कृषि निदेशालय, रांची सदस्य – सचिव होंगे।

त्रिसदस्यीय समिति किसी भी प्रस्ताव पर आवश्यकतानुसार वैज्ञानिक मत प्राप्त करने के लिए संबंधित जिला के कृषि विज्ञान केन्द्र अथवा कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक का परामर्श प्राप्त करेगी।

6.0 आवेदन की स्वीकृति :

6.1 ऐसे सभी आवेदन जो जांचोपरान्त अनुदान के लिए उपयुक्त पाये जाएंगे उन्हें जिला कृषि पदाधिकारी के द्वारा एक स्वीकृति पत्र निर्गत किया जाएगा। इस स्वीकृति पत्र में किसानों को वर्मी कम्पोष्ट ईकाई निर्माण अथवा एच0डी0पी0ई0 निर्मित पोर्टबल वर्मी बेड क्रय करने पर देय अनुदान तथा भुगतान की प्रक्रिया का स्पष्ट रूप से उल्लेख होगा।

6.2 व्यवसायिक स्तर पर वर्मी कम्पोष्ट उत्पादन के लिए प्रस्ताव की स्वीकृति कृषि निदेशक, झारखण्ड के द्वारा की जायेगी।

उद्यमियों के प्रस्ताव तभी स्वीकृत किये जायेंगे जब प्रस्ताव में बैंक के द्वारा एप्रेजल एवं सिद्धान्ततः सहमति दी गई हो।

7.0 वर्मी कम्पोष्ट उत्पादन इकाई का माप :

7.1 **पक्का निर्माण कार्य** – केचुआ खाद इकाई 10 फीट लम्बा, 3.0 फीट चौड़ा एवं 2.5 फीट गहरा होना चाहिए जिसकी धारिता क्षमता 75 घन फीट होनी चाहिए। 750 घनफीट धारण क्षमता वाले निमार्ण इकाई के लिए 10 इकाई का निमार्ण करना आवश्यक है। किसान अपनी सुविधानुसार 3.0 फीट चौड़ाई और 2.5 गहराई का माप रखते हुए लम्बाई उपलब्ध भूमि के अनुसार घटाई या बढ़ाई जा सकती है।

प्रत्येक परिस्थिति में एक ढांचे का संधारित क्षमता 75 घन फीट तथा 10 ढाचों का धारिता 750 घन फीट से कम नहीं होना चाहिए। एक इकाई से अधिक एवं 10 इकाई से कम उत्पादन इकाई का धारण क्षमता 75 घनफीट के गुणज में होगा एवं समानुपातिक अनुदान ही देय होगा।

7.2 **एच0डी0पी0ई0 वर्मी बेड** – 12'x4'x2'=96cft आयतन (Dimension) के एच0डी0पी0ई0 हिट सिल्ड (Heat Sealed) वर्मी बेड, जो निर्धारित मानक का हो, के क्रय एवं अधिष्ठापन के उपरांत ही किसानों को अनुदान देय होगा।

8.0 अनुदान दरें :

8.1 वर्मी कम्पोष्ट उत्पादन वृद्धि के लिए किसानों को 75 घन फीट के स्थाई/अर्द्धस्थाई उत्पादन इकाई पर लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम 3000 रू0 प्रति इकाई के दर से अनुदान देय होगा।

एक किसान अधिक से अधिक 10 ईकाई के लिए 30,000 रू0 अनुदान का अधिकतम लाभ ले सकते हैं।

8.2 एच0डी0पी0ई0 से बने वर्मी कम्पोष्ट निर्माण इकाई (96 घन फीट) के लिए लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम 5000.00 रू0 प्रति ईकाई के दर से अनुदान देय है।

एक किसान को अधिक से अधिक 10 इकाई के लिए 50 हजार रूपये तक अधिकतम अनुदान का लाभ दिया जा सकता है।

8.3 एक इकाई से अधिक किन्तु 10 इकाई से कम के लिए समानुपातिक अनुदान देय होगा।

8.4 वर्मी कम्पोष्ट के वितरण पर मूल्य का 50 प्रतिशत अधिकतम 300 रू0 प्रति क्वींटल की दर से अनुदान देय है। प्रत्येक किसान को अधिकतम 5 (पांच) हेक्टेयर क्षेत्र के लिए अधिकतम 25 क्वींटल वर्मी कम्पोष्ट पर अनुदान देय होगा।

8.5 वर्मी कम्पोष्ट का व्यवसायिक स्तर पर उत्पादन के लिए न्यूनतम 3000 मे0 टन प्रतिवर्ष उत्पादन करने वाले इकाई को परियोजना लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम 25 लाख रूपये अनुदान देय होगा।

8.6 जैविक खाद के व्यवहार पर किसानों को 500 रु0 प्रति हे0 (अधिकतम 5 हे0 के लिए) प्रोत्साहन राशि दी जायेगी। इसके लिए प्रपत्र–6 में किसान के द्वारा आवेदन दिया जायेगा तथा प्रपत्र–7 में जांच प्रतिवेदन तथा प्रोत्साहन राशि की स्वीकृति दी जायेगी।

9.0 अनुदानित दर पर उपलब्ध कराये गये वर्मी बेड एवं वर्मी कम्पोष्ट की गुणवत्ता विशिष्टिः

9.1 भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा सत्यापित/भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद एवं इसके अधीन संस्थानों/कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा अनुशंसित एच.डी.पी.ई. हीट सील्ड वर्मी कम्पोष्ट बेड पर अनुदान देय है। वर्मी बेड BIS (IS 15907:2010) मानक सत्यापित होना चाहिए।

9.2 वर्मी कम्पोष्ट पर अनुदान वितरण उन्हीं उत्पादों के लिए मान्य होगा, जिन्हें उर्वरक नियंत्रण आदेश के तहत वैधिक रूप से अनुज्ञप्ति कृषि विभाग द्वारा निर्गत की गई है अथवा निबंधित किया गया हो।

9.3 केंचुआ खाद इकाई (वर्मी कम्पोष्ट) के ढांचे की दीवार की मोटाई 5'' से कम नहीं होनी चाहिए। ढांचा को वर्षारोधी छप्पर (फूस छप्पर) से ढका होना आवश्यक है। छप्पर (फूस छप्पर) का क्षेत्रफल 15'x8'=120 वर्ग फीट होना आवश्यक है ताकि एक इकाई को पूर्ण रूपेण ढ़का जा सके।

10.0. अनुदानित दर पर वर्मी कम्पोष्ट वितरण हेतु विक्रेता का चयन :

10.1 कृषि निदेशक द्वारा निर्माता को नियमानुसार उत्पादन हेतु अनुज्ञा/प्राधिकार निर्गत किया जाएगा।

जिला कृषि पदाधिकारी अपने जिला अन्तर्गत अनुज्ञप्ति प्राप्त विक्रेता को चिन्हित करेंगे, जो झारखण्ड राज्य में वर्मी कम्पोष्ट उत्पादन/विपणन करने हेतु अनुज्ञप्ति प्राप्त कम्पनी या प्रतिष्ठान के वर्मी कम्पोष्ट का विपणन करते हों।

11.0. अनुदान भुगतान की प्रक्रिया :

11.1 केंचुआ खाद निर्माण इकाई (पक्का/ एच0डी0पी0ई0) के लिए केचुआ खाद के प्रथम खेप बनाने हेतु गड्ढा भरने के 15 दिन के अन्दर अनुदान भुगतान किया जायेगा।

11.2 वर्मी कम्पोष्ट वितरण के अंतर्गत चिन्हित विक्रेता से वर्मी कम्पोष्ट क्रय करने पर अनुदान का लाभ श्रोत पर ही दिया जायेगा। किसान को अनुदानित दर पर क्रय करने के लिए अपने पहचान के रूप में राशन कार्ड/ मतदाता पहचान पत्र/बैंक खाता/ड्राईविंग लाइसेंस/किसान क्रेडिट कार्ड/आवासीय प्रमाण पत्र/सरकारी एवं अर्धसरकारी संस्थान द्वारा निर्गत फोटोयुक्त पहचान पत्र की प्रति क्रय के समय विक्रेता को उपलब्ध कराया जायेगा।

विक्रेता के द्वारा इस योजना के लिए विहित कैशमेमो में कुल मूल्य, अनुदान की राशि तथा अनुदान की राशि को घटाने के बाद किसान से प्राप्त की गई राशि का स्पष्ट विवरण रखा जाएगा।

प्रतिष्ठान द्वारा प्रत्येक माह की दस तारीख तक कुल अनुदान दावे का विपत्र जिला कृषि पदाधिकारी को भेजा जायेगा। अनुदान विपत्र के साथ कैशमेमो की प्रति भी भेजी जायेगी। किसान के द्वारा पहचान के रूप में दिए गए पहचान पत्र की प्रति भी अनुदान दावे के साथ संलग्न की जायेगी।

उक्त के अतिरिक्त, यदि चिन्हित विक्रेता से किसानों के द्वारा पूरी राशि का भुगतान कर वर्मी कम्पोष्ट क्रय किया गया हो तो अनुदान की राशि सीधे किसान के नाम से एकाउन्ट पेयी चेक/ ड्राफ्ट के द्वारा भुगतान की जायेगी।

11.3 वर्मी कम्पोष्ट के व्यवसायिक स्तर पर उत्पादन का भुगतान दो किस्तों में किया जायेगा।

प्रथम किस्त के रूप में 50 प्रतिशत राशि अर्थात् अधिकतम 12.5 लाख रूपये परियोजना के 50 प्रतिशत कार्यो के पूर्ण होने तथा बैंक ऋण की प्रथम किस्त की राशि भुगतान होने के पश्चात् किया जायेगा।

शेष 50 प्रतिशत राशि का भुगतान प्रथम खेप उत्पादन के पश्चात् किया जायेगा।

अनुदान की राशि उद्यमी के बैंक खाते में जमा की जायेगी।

12.0 जैव उर्वरक उत्पादन/वितरण कार्यक्रम :

12.1 **जैव उर्वरक वितरण :**

वर्मी कम्पोष्ट के साथ–साथ जैव उर्वरक के प्रोत्साहन का कार्यक्रम राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया है।

इस कार्यक्रम अन्तर्गत विभिन्न कार्यमद स्वीकृत किए गए हैं जो निम्न प्रकार है–

12.2 दलहनी फसलों के बीज उपचार के लिए **राईजोबियम कल्चर** का पैकेट किसानों को निःशुल्क उपलब्ध कराया जायेगा। यह कार्यक्रम मुख्यमंत्री किसान खुशहाली योजना एवं बीज ग्राम योजना में आच्छादित किसानों के बीच कार्यान्वित की जायेगी।

किसानों को दिये जाने वाले कल्चर पैकेट एक चौथाई एकड़ क्षेत्र के लिए तैयार किया जायेगा।

12.1.2 मुख्यमंत्री किसान खुशहाली योजना एवं बीज ग्राम योजना के तहत धान फसल के बीज उत्पादन में शामिल किसानों को **नील हरित शैवाल** का आधा एकड़ क्षेत्र के लिए शैवाल का पैकेट निःशुल्क उपलब्ध कराया जायेगा।

121.3 मक्का उत्पादक किसानों को **माईकोराईजा कवक** का पैकेट आधा एकड़ क्षेत्र के लिए निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा।

जिला कृषि पदाधिकारी प्रगतिशील किसानों के बीज इसका वितरण करेंगे। जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा चयनित कृषकों को प्रशिक्षण के दौरान ही आधा एकड़ क्षेत्र के लिए कवक का पैकेट निःशुल्क उपलब्ध कराया जायेगा।

12.1.4 उक्त जैव उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कृषि विश्वविद्यालय स्रोत से प्राप्त जैव उर्वरक को सबसे पहले प्राप्त किया जायेगा। जो जैव उर्वरक बिरसा कृषि विश्वविद्यालय से प्राप्त नहीं होंगे उनके लिए निर्माण कम्पनियों अथवा अन्य राज्य कृषि विश्वविद्यालयों/निबंधित संस्थान से समय रहते समन्वयन किया जाएगा ताकि उपलब्धता सुनिश्चित हो सके।

इस प्रयोजन हेतु इच्छुक संस्थान का निबंधन निदेशक, कृषि, झारखण्ड के द्वारा किया जायेगा।

12.1.5 राज्य बीज निगम इस कार्यमद के लिए कार्यान्वयन एजेंसी होगा। बीज निगम के द्वारा कल्चर पैकेट का क्रय किया जायेगा तथा इसे जिलों को उपलब्ध कराया जायेगा।

13.0 व्यावसायिक स्तर पर जैव उर्वरक उत्पादन हेतु आवेदन की प्रक्रियाः

13.1 व्यवसायिक स्तर पर जैव उर्वरक, उत्पादन के लिए विहित प्रपत्र में आवेदन जमा किया जाएगा।

13.2 इच्छुक व्यक्ति विहित प्रपत्र में अपना आवेदन उप कृषि निदेशक (सामान्य), कृषि निदेशालय, रांची के

कार्यालय में जमा करेंगे। विश्वविद्यालय अथवा सरकारी क्षेत्र में जैव उर्वरक निर्माण इकाई की स्थापना के लिए विहित प्रपत्र में प्रस्ताव कृषि निदेशक/ उप कृषि निदेशक (सामान्य), कृषि निदेशालय, रांची के कार्यालय में जमा किया जाएगा।

13.3 **आवेदन की जांच :** आवेदन की जांच वर्मी कम्पोष्ट के लिए गठित **त्रिसदस्यीय समिति** द्वारा की जायेगी।

13.4 **आवेदन की स्वीकृति :**

विश्वविद्यालय अथवा सरकारी क्षेत्र में जैव उर्वरक निर्माण इकाई की स्थापना के लिए व्यवसायिक स्तर पर वर्मी कम्पोष्ट उत्पादन के लिए प्रस्ताव की स्वीकृति के सदृश त्रिसदस्यीय समिति की अनुशंसा के आलोक में कृषि निदेशक के द्वारा स्वीकृति दी जायेगी।

13.5 **अनुदान भुगतान की प्रक्रिया :** व्यवसायिक स्तर पर जैव उर्वरक उत्पादन के लिए सरकारी क्षेत्र के संस्थानों को शत–प्रतिशत अनुदान तथा निजी क्षेत्र को परियोजना लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम 90 लाख रूपये अनुदान की स्वीकृति प्रदान की जा सकती है।

व्यवसायिक स्तर पर निजी क्षेत्र द्वारा जैव उर्वरक इकाई की स्थापना हेतु अनुदान भुगतान की प्रक्रिया वर्मी कम्पोष्ट के लिए यथा विहित प्रक्रिया के सदृश होगा।

सरकारी क्षेत्र की संस्थाओं को निधि की स्वीकृति एकमुश्त की जा सकेगी।

14.0 विभिन्न पदाधिकारियों का दायित्व एवं अनुश्रवणः

14.1 राज्य स्तर पर नियमित रूप से अनुश्रवण के लिए कृषि निदेशक जिम्मेवार होंगे। वे शत–प्रतिशत लक्ष्य की प्राप्ति सुनिश्चित करेंगे। उनकी सहायता के लिए उप कृषि निदेशक (सामान्य),कृषि निदेशालय, रांची इस योजना के नोडल पदाधिकारी होंगे।

प्रमंडल स्तर पर अनुश्रवण के लिए प्रमंडलीय संयुक्त कृषि निदेशक जिम्मेवार होंगे।

जिला स्तर पर जिला कृषि पदाधिकारी की योजना कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। वे अभियान चलाकर इच्छुक किसानों से वर्मी कम्पोष्ट के लिए आवेदन प्राप्त करेंगे।

किसानों से आवेदन प्राप्त करने हेतु प्रखंड कृषि पदाधिकारी के साथ–साथ विषय वस्तु विशेषज्ञ तथा किसान सलाहकार को लक्ष्य निर्धारित किये जायेंगे। विषय वस्तु विशेषज्ञ एवं किसान सलाहकार किसानों के घर जाकर आवेदन भरवायेंगे एवं उन्हें प्राप्ति रसीद देंगे।

जिला कृषि पदाधिकारी किसान मेला में सामान्य रूप से मानक गुणवत्ता के वर्मी बेड की उपलब्धता सुनिश्चित करायेंगे।

साथ ही, वे यह भी सुनिश्चित करायेंगे कि विक्रेता द्वारा निर्गत किये जाने वाले कैशमेमो में यह स्पष्ट रूप से अंकित हो कि बेचा गया वर्मी बेड मानक BIS(IS 15907:2010) प्रमाणित है।

प्रखंड कृषि पदाधिकारी के साथ–साथ विषय वस्तु विशेषज्ञ एवं किसान सलाहकार आवेदन की जांच के लिए भी जिम्मेवार होंगे।

जिला कृषि पदाधिकारी का यह दायित्व होगा कि समय से किसानों को अनुदान का भुगतान किया जा रहा हो।

अनुमंडल कृषि पदाधिकारी अपने अनुमंडल में योजना कार्यान्वयन के लिए जिम्मेवार होंगे। वे नियमित रूप से कार्यान्वयन की समीक्षा करेंगे एवं सूचना जिला कृषि पदाधिकारी को देंगे।

15.0 कार्यान्वयन अनुदेश में संशोधन आदि की आवश्यकतानुसार स्वीकृति :

15.1 किसी भी विषय पर स्पष्टता नहीं होने अथवा योजना कार्यान्वयन हित में जो भी आवश्यक हो, वैसा आदेश कृषि विभाग द्वारा निर्गत किया जा सकेगा।

16.0 यह संकल्प तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

आदेश : आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिए झारखंड राजपत्र में प्रकाशित कराया जाए तथा इसकी प्रति राज्य सरकार के सभी विभागों को भेज दी जाए।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

25.08.11

(अरूण कुमार सिंह)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–3/RKVY/83/2011-2258 रांची, दिनांक– 25.08.11

प्रतिलिपि – सभी जिला कृषि पदाधिकारी/जिला भूमि संरक्षण पदाधिकारी/जिला उद्यान पदाधिकारी, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

25.08.11

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक– 2258 रांची, दिनांक– 25.08.11

प्रतिलिपि– निदेशक कृषि/निदेशक भूमि संरक्षण/निदेशक उद्यान/निदेशक समेति/मिशन निदेशक, मुख्यमंत्री किसान खुशहाली योजना/निदेशक राष्ट्रीय बागवानी मिशन, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25.08.11

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक– 2258 रांची, दिनांक– 25.08.11

प्रतिलिपि– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, रांची को झारखण्ड राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशित करने एवं उसकी 35 प्रतियाँ इस विभाग को प्रेषित करने हेतु अग्रसारित।

25.08.11

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक– 2258 रांची, दिनांक– 25.08.11

प्रतिलिपि– माननीय मंत्री कृषि एवं गन्ना विकास विभाग के आप्त सचिव/सभी प्रमंडलीय आयुक्त, झारखंड/सभी उपायुक्त, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25.08.11

सरकार के सचिव।

प्रपत्र-क

केंचुआ खाद इकाई हेतु अनुदान प्राप्ति के लिए आवेदन पत्र

आवेदन प्राप्ति का क्रमांक एवं तिथि .....(प्राप्त करने वाले कर्मी द्वारा भरा जायेगा)

1. किसान के नामः

2. किसान के पिता/पति का नामः

3. किसान का पूर्ण पताः

   ग्राम.....पो0.....पंचायत.....थाना.....
   प्रखण्ड.....जिला.....दूरभाष/मो0.....

4. किसान की श्रेणीः

   (i) लघु/सीमान्त/अन्य

   (ii) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति

   (iii) पुरूष/महिला

5. मैं...../...../...../.....फसलों की खेती करता हूँ।

6. पक्का केंचुआ खाद निर्माण इकाई बनाना चाहते हैं अथवा एच.डी.पी.ई. निर्माण इकाई का क्रय करना चाहतें है। (जो लागू नहीं हो उसे काट दें)

7. केंचुआ खाद निर्माण हेतु प्रस्तावित कुल इकाईयों की संख्या–

8. केंचुआ खाद निर्माण हेतु प्रस्तावित इकाईयों का माप (फीट में)

गड्ढा सं0	लम्बाई	चौड़ाई	गहराई	धारण क्षमता (घनफीट में) (ल0xचौ0xग0)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
कुल				

(योजना प्रावधान के अनुसार पक्का केंचुआ खाद का प्रत्येक निर्माण ईकाई 10 फीट लम्बा, 3.0 फीट चौड़ा एवं 2.5 फीट गहरा तैयार करना है जिसकी धारित क्षमता 75 घन फीट होगा। चौड़ाई एवं गहराई को क्रमशः 3 एवं 2.5 फीट रखते हुए लम्बाई को घटाया अथवा बढ़ाया जा सकता है। किन्तु एक इकाई का आयतन 75 घनफीट 10 ईकाई का कुल आयतन 750 घनफीट ही रखा जायेगा। एक इकाई से अधिक एवं 10 इकाई से कम उत्पादन इकाई का धारण क्षमता 75 घनफीट के गुणज में होगा एवं समानुपातिक अनुदान ही देय होगा। एच.डी.पी.ई. वर्मी बेड के प्रत्येक का 12'x4'x2'=96cft होना चाहिए। ऐसे अधिकतम 10 इकाई के लिए आवेदन किया जा सकता है।)

9. केंचुआ खाद इकाई हेतु प्रस्तावित भूमि का विवरण
खाता सं0..... खेसरा सं.....

10. प्रस्तावित भूमि की चौहद्दीः–

उ0.....पू0.....

द0..... प.0.....

11. एच.डी.पी.ई. वर्मी बेड किस कम्पनी का क्रय करना चाहते है।

12. क्या उक्त ब्राण्ड का एच.डी.पी.ई. वर्मी बेड BIS (IS 15907:2010) प्रमाणित है। (क्रय का कैशमेमो जिसमें उक्त प्रमाणीकरण का उल्लेख हो, का संरक्षित रखा जायेगा एवं इसे अनुदान दावे के साथ संलग्न किया जायेगा)

13. अनुमानित लागत (रू0): (क) अनुदान की राशि : ..... (ख) किसान का अंशः ..... कुलः .....

14. निर्माण इकाई पर फूस का छत/छप्पर बनाया जायेगा। हाँ/नहीं

(ढांचा को वर्षारोधी छप्पर (फूस छप्पर) से ढका होना आवश्यक है। छप्पर (फूस छप्पर) का क्षेत्रफल 15'x8'=120 वर्ग फीट होना आवश्यक है। जिससे कि एक इकाई को पूर्ण रूपेण ढका जा सके।)

15. केंचुआ खाद इकाई (वर्मी कम्पोष्ट) के ढांचे की दीवार की मोटाई 5 इंच से कम नहीं रखी जायेगी।

16. **केंचुआ प्राप्ति का श्रोत :** केंचुआ खाद बनाने हेतु जैव अपशिष्ट पदार्थ यथा फसल अपशिष्ट/केंचुली/सब्जी अपशिष्ट की उपलब्धताः उपलब्ध है/ उपलब्ध नहीं है।

17. गोबर के लिए मेरे पास पशु है/ गोबर में दूसरे पशुपालक से खरीदूँगा।

18. विगत 5 वर्षो में, कृषि विभाग द्वारा चलायी जा रही किसी भी योजना में मेरे द्वारा वर्मी कम्पोष्ट इकाई निर्माण के लिए अनुदान प्राप्त नहीं किया गया है।

घोषणाः– मैं एतद् द्वारा घोषणा करता हूँ कि उपर्युक्त सूचनाएँ सही है। स्वीकृति पत्र प्राप्त होने पर स्वीकृति की शर्त के अनुसार मैं निर्माण कार्य समय से पूरा करूँगा। मुझे ज्ञात है कि मेरे द्वारा निर्माण कार्य पूरा कर लेने तथा केंचुआ खाद के प्रथम खेप तैयार करने के लिए गड्ढा भरने के बाद अनुदान देय है। मुझे ज्ञात है कि अनुदान की राशि का दुरूपयोग प्रमाणित होने पर मुझे अनुदान की राशि लौटानी होगी एवं मेरे विरूद्ध वैधानिक कार्रवाई की जा सकती है।

किसान का हस्ताक्षर एवं तिथि

त्रिस्तरीय पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधि की अनुशंसा

मैं उपरोक्त किसान को जानता हूँ। ये अपने गाँव में रहकर खेती करते हैं। ये पशुपालन भी करते है। वर्मी कम्पोष्ट बनाने के लिए सहायता देने पर इन्हें कृषि कार्य करने में लाभ होगा। मैं आवेदन स्वीकृति हेतु अनुशंसा करता हूँ।

निर्वाचित प्रतिनिधि का नाम/पदनाम एवं हस्ताक्षर

प्राप्ति रसीद

नाम.....पिता का नाम.....

ग्राम.....जिला.....से वर्मी कम्पोष्ट उत्पादन हेतु आवेदन पत्र प्राप्त किया। आवेदन पत्र प्राप्ति का क्रमांक.....दिनांक.....है।

प्राप्त करने वाले कर्मी का नाम/पदनाम एवं हस्ताक्षर

नोटः- आवेदन पत्र स्वहस्तलिखित अथवा टंकित अथवा छपे हुए व्यवहार में लाये जा सकते है।

प्रपत्र-2

केंचुआ खाद इकाई हेतु अनुदान प्राप्ति कि लिए आवेदन पत्र का जांच पत्र

किसान का नाम..... पिता/पति का नाम .....

ग्राम.....प्रखण्ड.....जिला..... के संबंध में उनके गाँव जाकर मेरे द्वारा जांच की गई। किसान अपने गाँव में रहते हैं एवं खेती का कार्य करते हैं। मैंने आवेदन किसान तथा स्थानीय निवासियों से पूछताछ कर समाधान कर लिया है कि वर्मी कम्पोष्ट बनाने के लिए भूमि की चौहद्दी संबंधी विवरण सही है एवं यह उनके पास उपयोग के लिए उपलब्ध है। किसान के द्वारा फसलों की खेती तथा पशुपालन के संबंध में दिया गया विवरण सही है। मेरी राय में अगर इन्हें वर्मी कम्पोष्ट के लिए अनुदान की स्वीकृति दी जाती है तो इन्हें कृषि कार्य करने में सुविधा होगा। मैं आवेदन स्वीकृति की अनुशंसा करता हूँ।

प्रखंड कृषि पदाधिकारी/विषय वस्तु
विशेषज्ञ/जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा
प्राधिकृत पदाधिकारी का नाम/पदनाम
एवं हस्ताक्षर

प्रपत्र - 3

स्वीकृति पत्र

पत्रांकः– दिनांकः–

1. किसान का नाम.....पिता / पति का नाम .....

   ग्राम..... प्रखंड ..... जिला ..... आपके द्वारा समर्पित वर्मी कम्पोष्ट उत्पादन इकाई संबंधी आवेदन पत्र जांचोपरान्त सही पाया गया है।

2. आप निम्न दरों से अनुदान की पात्रता रखते हैंः–

   स्वीकृत इकाई का प्रकार– (पक्का / एच.डी.पी.ई.)

   स्वीकृत इकाई की संख्या .....

   स्वीकृत निर्माण इकाई का माप

गड्ढा सं0	लम्बाई	चौड़ाई	गहराई	धारण क्षमता (घनफीट में) (ल0xचौ0xग0)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
कुल–				

   स्वीकृत अधिकतम अनुदान ..... प्रतिशत अधिकतम ..... रूपये।

3. आप पक्का वर्मी कम्पोष्ट इकाई का निर्माण कर सकते हैं अथवा एच.डी.पी.ई. वर्मी बेड का क्रय एवं निर्माण कर सकते है। एच.डी.पी.ई. वर्मी बेड BIS (IS 15907:2010) मानक का ही खरीदें।
4. प्रत्येक वर्मी कम्पोष्ट इकाई पर फूंस का छत / छप्पर अनिवार्य रूप से बनाया जाय।
5. आपको वर्मी कम्पोष्ट इकाई का पहला खेप तैयार करने हेतु गड्ढा भरने के उपरांत ही अनुदान की राशि का एकमुश्त भुगतान किया जायेगा।
6. अनुदान का भुगतान आपको एकाउन्ट पेयी चेक से किया जायेगा।
7. स्वीकृति पत्र में वर्णित मानक के अनुसार निर्माण कार्य / क्रय / उत्पादन का कार्य पूरा करने के उपरांत अनुदान दावा समर्पित किया जाय। अनुदान दावे के भुगतान के लिए निर्माण की गई इकाई का फोटो जिसमें वर्मी कम्पोष्ट भरा होना परिलक्षित हो, दिया जाय।

8. अनुदान दावे का स्थलीय सत्यापन के बाद अनुदान राशि का भुगतान किया जायेगा। अनुदान दावे समर्पित करने की तिथि के एक सप्ताह के अंदर दावे का भुगतान किया जायेगा।

9. स्वीकृति पत्र की निर्गत तिथि के 15 दिनों के अंदर कार्य प्रारंभ नहीं करने पर स्वीकृति पत्र को निरस्त कर दिया जायेगा एवं इसके लिए आप स्वयं निम्मेवार होंगे।

जिला कृषि पदाधिकारी

प्रपत्र-4

अनुदान दावा हेतु किसान द्वारा समर्पित करने हेतु विहित प्रपत्र अनुदान दावा निम्न प्रपत्र में किया जायः-

मैं..... पिता ..... ग्राम ..... प्रखंड .....जिला..... ..... ने विभागीय स्वीकृति पत्र संख्या ..... दिनांक ..... के आलोक में निम्न प्रकार से पक्का इकाई/एच.डी.पी.ई.वर्मी बेड का

गड्ढा सं0	लम्बाई	चौड़ाई	गहराई	धारण क्षमता (घनफीट में) (ल0xचौ0xग0)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
कुल				

निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया हूँ। एच.डी.पी.ई.वर्मी बेड. BIS (IS 15907:2010) मानक का क्रय किया है एवं इसे उपरोक्त प्रकार से अधिष्ठापित कर दिया है। एच.डी.पी.ई.वर्मी बेड. BIS (IS 15907:2010) मानक का क्रय से संबधित कैशमेमो संलग्न किया जा रहा है (लागू न हो तो काट दें) प्रत्येक वर्मी कम्पोष्ट इकाई का फूस का छत/छप्पर बनाया गया है। वर्मी कम्पोष्ट बनाने के लिए इकाई को कार्बनिक पदार्थ/केंचुआ से भर दिया गया है। प्रमाण स्वरूप इसका फोटो संलग्न कर रहा हूँ।

संलग्नक 1. फोटो, 2. एच.डी.पी.ई.वर्मी बेड. BIS (IS 15907:2010) मानक का क्रय से संबंधित कैशमेमो (लागू न हो तो काट दें)

मुझे अनुदान दावे का भुगतान किया जाय।

(अनुदान दावे में किसान अपना नाम एवं हस्ताक्षर तथा तिथि स्पष्ट रूप से अंकित करेंगे।)

अनुदान दावे का सत्यापन

मैंने दिनांक..... को किसान के गाँव जाकर निर्माण कार्य देखा है। किसान द्वारा समर्पित की गई उपरोक्त सूचनाएँ सही है। वर्मी कम्पोष्ट इकाई का निर्माण गुणवत्तापूर्ण किया गया है। वर्मी बेड का क्रय BIS (IS 15907:2010) मानक का किया गया है। इन्हें..... इकाईयों कुल ..... धारण क्षमता वाले वर्मी कम्पोष्ट के लिए देय अनुदान विमुक्त किया जा सकता है।

अथवा

मैंने किसान के गाँव जाकर निर्माण कार्य देखा है। किसान द्वारा समर्पित की गई उपरोक्त सूचनाए आंशिक रूप से सही है। वर्मी बेड का क्रय BIS (IS 15907:2010) मानक का किया गया है। इन्हें कुल दावें..... इकाईयों कुल ..... धारण क्षमता के विरूद्ध ..... इकाईयों कुल .... धारण क्षमता वाले वर्मी कम्पोष्ट के लिए देय अनुदान विमुक्त किया जा सकता है। अस्वीकृत किये गये इकाईयों का निर्माण नहीं किया गया है या मानक के अनुसार नहीं है।

अथवा

मैंने किसान के गाँव जाकर निर्माण कार्य देखा है। दावा अस्वीकृत किया जा सकता है। अस्वीकृत किये गये इकाईयों का निर्माण नहीं किया गया है या मानक के अनुसार नहीं है। वर्मी बेड का क्रय BIS (IS 15907:2010) मानक का नहीं किया गया है।

प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी/ विषय वस्तु
विशेषज्ञ/जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा प्राधिकृत
पदाधिकारी का नाम/पदनाम एवं हस्ताक्षर

प्रपत्र - 5

निजी उद्यमी द्वारा व्यावसायिक स्तर का वर्मी कम्पोष्ट इकाई निर्माण करने/जैव उर्वरक इकाई की स्थापना के लिए आवेदन पपत्र

1. नाम ..... पिता/पति का नाम .....

   ग्राम ..... प्रखंड ..... जिला .....

2. आवेदक का प्रकार Individulal/Co-operative/Proprietory firm/ Companies/ Farmer Interst Group/Self Help Group/NGO

3. उत्पादन इकाई के लिए प्रस्तावित स्थलः–

   ग्राम ..... प्रखंड ..... जिला ..... खाता ..... खेसरा .....

   रकबा ..... चौहद्दी .....

   (भू–धारिता प्रमाण पत्र/अद्यतन रसीद संलग्न किया जाय)

4. आवेदक का पूर्व का अनुभव

5. प्रस्तावित उत्पादन क्षमता

6. अनुमानित लागत (क) उद्यमी का अंश ..... (ख) बैंक ऋण ..... (ग) अनुदान की राशि ..... (घ) अन्य ..... कुल ..... लाख रू0।

7. परियोजना के संबंध में संक्षिप्त विवरण यथा तकनीक/उत्पादन के लिए प्रयोग में लाये जाने वाले Raw Material/Equipments एवं होने वाले लाभ के संबंध में संक्षिप्त विवरण। परियोजना प्रस्ताव की प्रति संलग्न किया जाय।

8. किसी अन्य योजना से सहायता के लिए प्रस्ताव किया गया हो तो इस संबंध में विवरण दिया जाय।

9. परियोजना बैंक द्वारा स्वीकृत की गई है। बैंक का एप्रेजल रिपोर्ट एवं सिद्धान्ततः सहमति से संबंधित प्रमाण।

10. अन्य कोई महत्वपूर्ण सूचना जो आवेदक देना चाहते हों।

उद्यमी का पूरा नाम एवं हस्ताक्षर तथा तिथि

प्रपत्र - 6

जैविक खाद व्यवहार कर प्रोत्साहन राशि प्राप्ति के लिए आवेदन पत्र

1. मैं जैविक खाद का व्यवहार फसल उत्पादन में करता हूँ।

2. जैविक खाद व्यवहार किए गये फसल का नाम तथा क्षेत्रफल हेक्टर में निम्नलिखित है –

क्रमांक	मौसम	फसल का नाम	क्षेत्रफल हे0 में	केचुआ खाद व्यवहार की मात्रा (क्वी.)	अनुमानित लागत (रु0)	प्रोत्साहन राशि (रु0)
1						
2						
3						

3. त्रिस्तरीय पंचायत के निम्नलिखित प्रतिनिधि की अनुशंसा

मैं उपरोक्त किसान को जानता हूँ। ये अपने गॉव में रहकर खेती करते है। जैविक खाद के उपयोग पर प्रोत्साहन राशि उपलब्ध होने पर कृषक का झुकाव वर्मी कम्पोस्ट व्यवहार की ओर बढ़ेगा। मैं इस आवेदन को स्वीकृति हेतु अनुशंसा करता हूँ

निर्वाचित प्रतिनिधि का नाम
पदनाम एवं हस्ताक्षर

प्राप्ति रसीद

नाम : ...../ पति का नाम ..... ग्राम : ..... जिला ..... से वर्मी कम्पोस्ट व्यवहार हेतु आवेदन पत्र प्राप्त किया। आावेदन पत्र प्राप्ति का क्रमांक ..... दिनांक ..... है।

प्राप्त करने वाले कर्मी का नाम/पदनाम एवं हस्ताक्षर

प्रपत्र -7

जैविक खाद व्यवहार हेतु प्रोत्साहन राशि प्राप्ति के लिए आवेदन पत्र का जांच एवं अनुशंसा पत्र

किसान का नाम ..... पिता/पति का नाम .... ग्राम..... जिला ..... के संबंध में उनके गाँव जाकर मेरे द्वारा जांच की गई। किसान अपने गाँव में रहकर खेती का कार्य करते है। मैंने आवेदित किसान तथा स्थानीय निवासियों से पूछताछ कर आश्वस्त हो गया हूँ कि किसान द्वारा उपलब्ध कराया गया वर्मी कम्पोस्ट का विवरण सही है। मैं इन्हें प्रोत्साहन राशि की स्वीकृति की अनुशंसा करता हूँ।

प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी/विषयवस्तु विशेषज्ञ/
जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी
का नाम/पदनाम एवं हस्ताक्षर

झारखण्ड सरकार

कृषि एवं गन्ना विकास विभाग

झारखण्ड

1848/09/ Kailash Paper/0651 2532251